एक विश्वसनीय जाँच

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (गवर्नेंस) से संबंधित है।

द हिन्दू

28 अक्टूबर, 2021

केन्द्र को स्पाइवेयर के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई जाँच में पूरा सहयोग करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश इजरायली स्पाइवेयर ***'पेगासस'*** के संभावित उपयोग की एक स्वतंत्र जांच की स्थापना करना तथा नागरिकों को गैरकानूनी निगरानी से बचाने के लिए एक प्रभावी हस्तक्षेप है।

साथ ही यह आदेश 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के दलदल का उपयोग करके हर मुद्दे को कवर करने के सरकार के प्रयास के लिए एक कड़ी टिप्पणी है। पहले दिन से ही यह स्पष्ट हो गया था कि इस खुलासे के बाद कि कथित रूप से निगरानी के लिए पहचाने गए 50,000 फोन नंबरों में से लगभग 300 भारतीयों के थे, कि सरकार विश्वसनीय जांच को रोकने या सुविधा प्रदान करने के बजाय इसे खुला रखना पसंद करेगी। अंततः सरकारी एजेंसियों के लिए स्पाइवेयर उपलब्ध था या नहीं, यह स्वीकार किए बिना किसी भी गलत काम से पूरी तरह इनकार करने की इसकी रणनीति विफल रही। भारत के मुख्य न्यायाधीश, एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा 46-पृष्ठ का आदेश दो स्पष्ट सिद्धांतों की घोषणा करता है:

1. किसी की प्रत्यक्ष निगरानी हो या यहाँ तक कि किसी के ज्ञान पर भी किसी की जासूसी हो यह अनैतिक और गैर कानूनी है क्योंकि जिस तरह से व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करता है ये निगरानी उसे प्रभावित करती है।
2. सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मामलों की न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित करने की दुहाई हर बार नही दे सकती।

न्यायालय ने यह भी कहा कि विवाद पर कोई प्रकाश डालने के लिए सरकार का इनकार अब अस्वीकार्य माना जाएगा, विशेषकर ऐसे मामले जिसमें नागरिकों के अधिकारों का संभावित उल्लंघन शामिल है और यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा विचारों का उपयोग राज्य द्वारा "मुफ्त पास प्राप्त करने के लिए" नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने इस मुद्दे को एक "ऑरवेलियन चिंता" के रूप में उठाया है, यह मानते हुए कि घुसपैठ की निगरानी न केवल निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।

जब यह चौंकाने वाले खुलासे हुए कि पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि डॉक्टरों और अदालत के कर्मचारियों के कई फोन सैन्य-श्रेणी के स्पाइवेयर के निशाने पर थे, जिन्हें न केवल डेटा हथियाने के लिए बल्कि उपकरणों पर नियंत्रण रखने के लिए डिजाइन किया गया था, तो सरकार को जवाब देना चाहिए था, जैसा कि कुछ देशों ने किया था।

इसके बजाय, सरकार ने एक कोरे दावे का सहारा लिया कि भारत में अवैध निगरानी संभव नहीं है। साथ ही सरकार ने यह कह दिया कि इसकी एजेंसियों द्वारा किसी विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया था या नहीं, इसका खुलासा राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करेगा। न्यायालय यह स्पष्ट करने में सही है कि इस तरह की कोई चिंता या प्रतिरक्षा का दावा हलफनामे पर सिद्ध होना चाहिए था।

काफी भयावह बात यह है कि सरकार 2019 में संसद में यह स्वीकार करने के बाद कि कुछ व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को पेगासस द्वारा लक्षित किए जाने के बारे में पता था लेकिन सरकार यह बताने के लिए भी तैयार नहीं थी कि उस पर क्या कार्रवाई की गई थी। अपने आप जाँच का आदेश देने के उसके प्रस्ताव को न्यायालय ने ठीक ही खारिज कर दिया है - इसकी विश्वसनीयता बहुत कम होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय की निगरानी वाले पैनल के पास आवश्यक विशेषज्ञता और स्वतंत्रता है, लेकिन सच्चाई को उजागर करने में इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह सरकार और उसकी निगरानी एजेंसियों से कितनी जानकारी प्राप्त कर सकती है। अपने हिस्से हेतु, सरकार के लिए अच्छा होगा कि वह अपने आक्षेप और बाधा डालने के रिकॉर्ड से हटकर जाँच में सहयोग करे।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. पेगासस विवाद निम्नलिखित में से किस अधिकार के हनन से जुड़ा है?

(a) निजता का अधिकार

(b) स्वतंत्रता का अधिकार

(c) शोषण के विरुद्ध अधिकार

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Pegasus dispute is related to the violation of which of the following rights?

(a) Right to Privacy

(b) Right to Freedom

(c) Right against exploitation

(d) None of the Above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. भारत मे नागरिकों की निजता की सुरक्षा और इन अधिकारों की पूर्ति के लिए न्यायिक प्रक्रिया को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बाधित करना किस सीमा तक उचित कहा जा सकता है? (250 शब्द)

Q. To what extent can it be called appropriate to obstruct the judicial process in the name of national security for the protection of the privacy of citizens and fulfillment of these rights in India? (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।